

प्रेषक,

जी० के० टण्डन  
राहत आयुक्त एवं सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक  
पी०ए०सी०, मुख्यालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ दिनांक ०९ जुलाई, २००८

विषय: संभावित बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्य हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैनात पी०ए०सी० कम्पनी को Portable-Inflatable Emergency Lighting System उपकरण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक ०१ जुलाई, २००८ के में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि संभावित बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्य हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैनात पी०ए०सी० की १० कम्पनी को एक-एक Portable-Inflatable Emergency Lighting System उपकरण उपलब्ध कराने हेतु रु० १,७७,३६८/-प्रति उपकरण की दर से कुल धनराशि रु० १७,७३,६८०/- (रुपये सत्रह लाख तिहात छ: सौ अस्सी मात्र) आवंटित करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००८-०९ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “२२४५-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। Portable-Inflatable Emergency Lighting System उपकरण का क्य डी०जी० एस०एन०डी० रेट कान्ड्रैक्ट के आधार पर १० दिन में

कर लिया जाय। उक्त उपकरण का रखरखाव पी०ए०सी० द्वारा ही किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की जा रही है, इस हेतु ही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

5. सम्बन्धित जिलाधिकारी उपकरण की उपयोगिता के सम्बन्ध में अपने विचार अधोहस्ताक्षरी को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के व्यय के आकड़ों का पुस्तांकन (बुकिंग) महालेखाकार कार्यालय के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं निम्नांकित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित राजस्व अनुभाग-10 को दिनांक 15 सितम्बर, 2008 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय-

(क) व्यय का विवरण :-

क०सं०	उपकरण का नाम	क्षमता	प्रत्येक उपकरण की पहचान संख्या	मूल्य	गांरटी अवधि	जीवन अवधि

(ख) आपदा राहत निधि के पक्ष में अवशेष धनराशि रु०..... बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ पर भुगतान हेतु वापस किया जा रहा है।

दिनांक:

मुहरयुक्त हस्ताक्षर


7. आपदा राहत निधि से जो नये उपकरण क्य किय जाय उनके पूर्ण विवरण की एक पंजिका पी०ए०सी० मुख्यालय पर रखी जाय, जिसमें आपदा राहत निधि से प्राप्त धनराशि का मदवार उल्लेख किया जाय।

भवदीप,  
(जी०क०० टण्डन)  
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : ३४६ (१) / १-१०-२००८-१२(७३) / २००८ टी०सी०-२, तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

१. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट उत्तर प्रदे इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
३. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
४. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
५. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
६. मैनेजिंग डायरेक्टर, आस्का इक्यूपमेन्ट लि० १९३, दिपाली, दिपाली चौक,  
प्रीतमपुरा, नई दिल्ली
७. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—५
८. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग—१०/राजस्व  
अनुभाग ६/११/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
९. गार्ड बुक।

आज्ञा से  
  
( राजाराम )  
अनु सचिव